(140)

संख्या 1055 /उन्तीस(2)/11–2(30पे0)/2011 टी0सी0–V

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यॉकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 11 अगस्त, 2011

विषय :– **मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में राज्य के पेयजल विहीन विद्यालयों को पेयजल से संतृप्त किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं0 631/2004 दिनांक 29.04.2011 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में राज्य के पेयजल विहीन विद्यालयों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने विषयक आपके पत्र संख्या 2690/अप्रै–03/ वि0पे0ज0व्य0/ 2011–12 दिनांक 23.07.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुल 30 विद्यालयों हेतु गठित आंगणनों ₹ 176.03 लाख में से टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षित/अनुमोदित लागत ₹ 134.51 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में ₹ 53.80 लाख (₹ तिरेपन्न लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि संलग्न सूची के अनुरूप विद्यालयवार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून के कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा। आहरण से सम्बन्धित बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को तत्काल उपलब्ध कराई जाय।

3. योजना में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों तथा जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि किसी विद्यालय को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में प्रेषित/स्वीकृत अन्य योजना में सम्मिलित किया गया हो तो ऐसे विद्यालय हेतु प्रस्तुत योजना अथवा पूर्व प्रेषित/स्वीकृत योजना में से किसी एक योजना को ही क्रियान्वित कर व्यय किया जाय। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी भी विद्यालय को पेयजल उपलब्धता हेतु एक से अधिक योजनायें कार्यान्वित न हो।

6. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित किया जाय।

.....2

8. कार्य की गुणवत्ता, समयबद्धता एवं विद्यालय हेतु एकल योजना उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

9. योजना को स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा तथा किसी भी दशा में पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकार नही होगा।

10. उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 मे लिये गये निर्णयानुसार तथा इसके विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन कराते हुए कराया जाय।

11. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 एवं निर्माण एजेन्सी के विषय में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य करते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक–4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01–जलपूर्ति–आयोजनागत –102–ग्रामीण जलपूर्ति–03–ग्रामीण पेयजल सेक्टर–00–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा।

13 यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0– 392/XXVII (2)/11 दिनांक 11 अगस्त, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यॉकी),
अपर सचिव

पृ0सं0 1055 /उन्तीस (2)/11–2(30पे0)/2011 टी0सी0–।। तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. प्रभारी प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2/वित्त (बजट सैल)/नियोजन प्रकोष्ठ।
7. बजट अधिकारी (बजट निदेशालय), उत्तराखण्ड।
8. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
10. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
11. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली),
उप सचिव

शासनादेश सं0 १०६५ /उन्तीस(2)/11–2(30पे0)/2011 टी0सी0–V दिनांक ।। अगस्त, 2011 का संलग्नक।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	विद्यालय का प्रकार	प्रस्तावित लागत	अनुमोदित धनराशि
01	02	03	04	05	06
01	कोटयूरा दरमाड	चौखुटिया	अपर प्राइमरी / प्राइमरी	2.320	1.830
02	पारकोटी	गरूड	प्राइमरी	4.120	2.960
03	उनू	कपकोट	प्राइमरी	2.810	2.110
04	मोभेरी	कपकोट	प्राइमरी	3.260	2.560
05	जुनायल	बागेश्वर	प्राइमरी	5.430	4.590
06	जमकू	धारचूला	प्राइमरी	1.020	0.740
07	बंगली	गंगोलीहाट	अपर प्राइमरी	13.240	11.020
08	चटिग्याला	कर्णप्रयाग	प्राइमरी	3.510	2.300
09	सिंलोगी	चम्बा	प्राइमरी	3.940	3.130
10	कीर्तिखाल	द्वारीखाल	प्राइमरी	6.530	5.180
11	किमखेत	नैनीड़ाडा	प्राइमरी	5.920	4.470
12	हल्दूखाल	नैनीड़ाडा	प्राइमरी	13.420	10.440
13	चामसैंण	नैनीड़ाडा	अपर प्राइमरी	2.600	2.000
14	कच्चयुला (नायल)	धौलादेवी	प्राइमरी	5.210	4.180
15	बसगांव	लमगड़ा	प्राइमरी	5.770	4.650
16	हटपला	लमगड़ा	प्राइमरी	13.710	11.130
17	उसलेटी	लमगड़ा	प्राइमरी	5.910	4.900
18	ध्यूरखामा	गंगोलीहाट	प्राइमरी	5.580	4.510
19	नरूवाधोल	गंगोलीहाट	प्राइमरी	9.900	6.320
20	रूगड़ी	गंगोलीहाट	प्राइमरी	4.270	2.870
21	जमरसौं (बगोटीं)	लोहाघाट	प्राइमरी	6.200	4.640
22	रौंसाल	लोहाघाट	प्राइमरी	5.410	4.060
23	खेला सुनार	लोहाघाट	प्राइमरी	10.740	7.900
24	दुबड कमलेट	पाटी	अपर प्राइमरी	4.960	3.730
25	फिलेन्डा	भिंलगना	प्राइमरी	3.970	3.270
26	सौंफ	भिंलगना	प्राइमरी	4.030	3.320
27	कपरोली (कडाकोट)	कीर्तिनगर	प्राइमरी	3.660	3.010

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	विद्यालय का प्रकार	प्रस्तावित लागत	अनुमोदित धनराशि
01	02	03	04	05	06
28	रोनाड	कीर्तिनगर	प्राइमरी	3.970	3.270
29	कुल्याणी	एकेश्वर	प्राइमरी	7.330	5.840
30	बुरास्ती	चकराता	अपर प्राइमरी	7.290	3.580
	योग (कुल 30 विद्यालय) :–			**176.030**	**134.510**
	स्वीकृत की जा रही 40 प्रतिशत धनराशि				**53.80**

(₹ तिरेपन्न लाख अस्सी हजार मात्र)

(गरिमा सैंकली),
उप सचिव